कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1032 / 2021 / 10–11 / 4057 भोपाल, दिनांक 7-12-21

प्रेषकः–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– खण्डवा जिले के अंतर्गत ग्राम गोदड़पुरा, तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.800 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता जिला खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 6-MPB 067/2021-BHO दिनांक 08.11.2021

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। REC बैठक दिनांक 02.11.2021 में लिए गए निर्णय के अनुसार 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। वनमण्डलाधिकारी खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जानकारी निम्नानुसार हैः–

1– बिन्दु क्रमांक 01 के पालन में लेख है कि प्रस्तावित वनभूमि आरक्षित कक्ष क्रमांक 211 के अन्तर्गत है, जिसमें गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.8 हेक्टेयर वनभूमि पर लगभग 20 वर्ष पुराना अतिक्रमण है, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

2– बिन्दु क्रमांक 02 के पालन में तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी श्री एच0एस0 प्रुर्थी, उप वनमण्डलाधिकारी पुनासा एस0एन0 शर्मा एवं परिक्षेत्राधिकारी एम0 अजनार पदस्थ थे। तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं उनका स्वर्गवास भी हो गया है। वर्तमान में कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।

3-- आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर खण्डवा का प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2021 उपलब्ध कराया है, छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

07/12/2021

(सुनील अग्रवाल)

—2—

GOI 2021

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1032 / 2021 / 10–11 / 4058 भोपाल, दिनांक 7-12-21

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, म.प्र.।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता जिला खण्डवा, म.प्र

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07/12/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Form – II

(For Projects other than llnear Projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Khandwa

No 5597 Dated 23.11./2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98 – FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in MoEf issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the Revenue land proposed to be diverted for non-forest purposes, It is certified that 0.80 hectares of Big Jhad ka Jungle proposed to be diverted in favour of Shri Markandey Sannyas Ashram Public Trust of Omkareshwar or Construction of Gaushala, Hospital and library (purpose for diversion of forest land) in Khandwa district falls within Jurisdiction of Gram Panchayat of Godarpura village Khasra No. 2/1 in Punasa Tehsil.
It is further certified that :

1. The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire 0.80 hectares of Big Jhad ka Jungle that has been proposed for diversion. A copy of records of all consultantions and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub-divisional Level Committee and District level Committee are enclosed as Annexure.
2. The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under FRA.
3. The Concerned Gram Sabha have certified that all formalities / process under FRA have been carried out and that they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures if any having understood the purposed and details of proposed division. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Godarpura Village(s) is enclosed as Annexure.
4. The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of member of Gram Sabha present.
5. The diversion of Revenue land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabha have given their consent to it.
6. The right of primitive tribal ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e), of FRA.

Encl : As above

23/11/21

Signature
Collector
Khandwa (MP)